न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 238 / 2022

प्रार्थीगण

1. पोकराराम पुत्र लादूराम उम्र 50 वर्ष
2. लूम्बाराम पुत्र लादूराम उम्रं 55 वर्ष
3. पदमाराम पुत्र लादूराम उम्र 45 वर्ष
4. चूनाराम पुत्र लादूराम उम्र 40 वर्ष
5. पारू पत्नि लादूराम उम्र 80 वर्ष
6. घमण्डाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 70 वर्ष

जातियान जाट निवासी धने की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र जगाराम उम्र 30 वर्ष
2. खींयाराम पुत्र लाबूराम उम्र 75 वर्ष
3. गिरधारीराम पुत्र रावताराम उम्र 45 वर्ष
4. चतरू पत्नि जगाराम उम्र 65 वर्ष
5. डूंगराराम पुत्र नारणाराम उम्र 70 वर्ष
6. नेनाराम पुत्र जगाराम उम्र 25 वर्ष
7. मांगाराम पुत्र जगाराम उम्र 22 वर्ष
8. सांवताराम पुत्र रावताराम उम्र 50 वर्ष
9. सांवलाराम पुत्र रावताराम उम्र 40 वर्ष
10. देवाराम पुत्र रूपाराम उम्र 50 वर्ष
11. रावताराम पुत्र रूपाराम उम्र 48 वर्ष
12. वरजूदेवी पत्नि रूपाराम उम्र 70 वर्ष
13. कालूराम पुत्र शेराराम उम्र 60 वर्ष
14. मुकनाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 58 वर्ष
15. चूनीदेवी पत्नि गोधूराम उम्र 55 वर्ष
16. देवकुमारी पुत्री गोधूराम उम्र 25 वर्ष
17. नेनूकुमारी पुत्री गोधूराम उम्र 22 वर्ष
18. पेमाराम पुत्र ईशराराम उम्र 35 वर्ष
19. भंवराराम पुत्र ईशराराम उम्र 32 वर्ष
20. मांगी पत्नि ईशराराम उम्र 75 वर्ष
21. प्रभूराम पुत्र भैराराम उम्र 50 वर्ष
22. भगवानाराम पुत्र भैराराम उम्र 53 वर्ष
23. भूरीदेवी पत्नि भैराराम उम्र 80 वर्ष
24. रूपाराम पुत्र भैराराम उम्र 55 वर्ष
25. राजूराम पुत्र भैराराम उम्र 35 वर्ष

जातियान जाट निवासी धने की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

26. रामाराम पुत्र अचलाराम उम्र 60 वर्ष
27. रावताराम पुत्र अचलाराम उम्र 58 वर्ष
28. कालूराम पुत्र भींयाराम उम्र 40 वर्ष
29. देवाराम पुत्र भींयाराम उम्र 45 वर्ष 30. भंवराराम पुत्र भींयाराम उम्र 55 वर्ष
31. रामाराम पुत्र भींयाराम उम्र 35 वर्ष
32. हरखूदेवी पत्नि भींयाराम उम्र 75 वर्ष
33. धनाराम पुत्र तेजाराम उम्र 45 वर्ष
34. [illegible] पत्नि [illegible]राम उम्र 80 वर्ष

जातिय[illegible] निवासी धने की ढाणी
तहसील सिण[illegible] जिला बाड़मेर
[illegible] सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू[illegible]जस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 28.12.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसर संख्या 369/79 रकबा 9.2873 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 683/97 रकबा 0.5501 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 1.6342 हैक्टेयर कुल रकबा 11.4716 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसरा संख्या 369/79 रकबा 9.2873 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 683/97 रकबा 0.5501 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 1.6342 हैक्टेयर कुल रकबा 11.4716 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसर संख्या 369/79 रकबा 9.2873 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 683/97 रकबा 0.5501 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 1.6342 हैक्टेयर कुल रकबा 11.4716 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार किं कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसरा संख्या 369/79 रकबा 9.2873 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 683/97 रकबा 0.5501 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 1.6342 हैक्टेयर कुल रकबा 11.4716 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:04 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील, सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खेत खसर संख्या 369/79 रकबा 9.2873 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 683/97 रकबा 0.5501 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 1.6342 हैक्टेयर कुल रकबा 11.4716 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसर संख्या 369/79 रकबा 9.2873 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 683/97 रकबा 0.5501 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 1.6342 हैक्टेयर कुल रकबा 11.4716 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28-12-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:04 IST
Reason: SelfAttested